

**उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग  
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०**

**आवेदन पत्र का प्रारूप**

विज्ञापन संख्या-----

आवेदन स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि-----

अभ्यर्थी स्वःहस्ताक्षरित  
नवीनतम् पासपोर्ट  
साइज फोटो  
चिपकायें।

1.	आवेदित पद का नाम-	
2.	अभ्यर्थी का नाम- (क) देवनागरी में- (ख) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में-	
3.	अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता (पते के किसी भी परिवर्तन की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा "उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, कक्ष संख्या 1025, 10 वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग लखनऊ-226001" के पते पर भेजें)।	
4.	ई-मेल	
5.	ग्राम/नगर, जिला तथा राज्य का नाम जहाँ का अभ्यर्थी स्थाई निवासी है।	
6.	जन्म तिथि (ईसवी सन् में), तिथि-माह-ईसवी सन् में।	
7.	अभ्यर्थी के पिता/पति का विवरण- (क) अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम (ख) अभ्यर्थी के पिता/पति का जन्म स्थान (ग) अभ्यर्थी के पिता/पति का पता (यदि मृत हों तो अन्तिम पता) (घ) क्या पिता/पति ने कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली? यदि हाँ, तो पूरा विवरण दें।	
8.	क्या अभ्यर्थी तथा/अथवा अभ्यर्थी के पिता/पति जन्म तथा/अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं? यदि नहीं तो पूरा विवरण दें, और आवश्यक प्रमाण-पत्र भी संलग्न करें।	
9.	(क) क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं? उत्तर "हाँ" या "नहीं" में दीजिये। यदि हाँ तो जाति वर्ग का पूरा विवरण दें तथा निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट-1/।। पर जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें।  (ख) क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न वर्ग/जाति की आयु सीमाओं में देय छूट का लाभ चाहते हैं? यदि हाँ तो जाति वर्ग का पूरा विवरण दें और विज्ञापन अनुसार जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें।	
10.	(क) क्या अभ्यर्थी विवाहित है? (ख) यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी की एक या एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं (पुरुष अभ्यर्थियों के लिये) अथवा क्या अभ्यर्थी ने ऐसे पुरुष से विवाह किया है, जिसकी एक पत्नी पहले से ही जीवित है (महिला अभ्यर्थियों के लिये)	(ख) हाँ/नहीं



**नोट:-**

- चयन परीक्षा संपन्न होने तक परीक्षार्थी अपने उक्त पंजीकृत ई-मेल को सुरक्षित रखें।
- समय-समय पर उक्त चयन से सम्बन्धित जानकारी निगम वेबसाइट ([www.uprvunl.org](http://www.uprvunl.org)) पर एवं उक्त पंजीकृत ई-मेल के माध्यम से दी जायेगी। अतः निगम वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें।

11. सभी शैक्षिक तथा/अथवा प्राविधिक परीक्षाओं, जिनमें अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं, तथा उन उपाधियों का पूरा विवरण

परीक्षा या उपाधि	विषय	श्रेणी	वर्ष	प्राप्तांक प्रतिशत	प्राप्त विशिष्टता का विवरण	अनुक्रमांक/ प्रमाण-पत्र संख्या
हाईस्कूल						
इंटरमीडियट						
स्नातक						
स्नातकोत्तर						
अन्य शैक्षिक प्राविधिक अर्हताओं शोधकार्य का पूरा विवरण						

12. अभ्यर्थी अपनी विगत तथा वर्तमान नियुक्तियों का पूर्ण विवरण नीचे दे-

पद का नाम या नियुक्ति का स्वरूप	वेतन तथा वेतन-क्रम	सेवायोजक का नाम तथा पूरा विवरण	प्रवेश तिथि	नियुक्ति का स्थान	पूर्व पद/पद त्याग की दशा में पद छोड़ने की तिथि

13. अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य तथा अर्हताओं से सम्बन्धित निम्न विवरण दे-

क्रमांक	अनिवार्य	बोर्ड/संस्थान/ विश्वविद्यालय का नाम	अनुक्रमांक/ प्रमाण-पत्र संख्या
1.			
2.			
3.			

- मुख्य रूप से हाईस्कूल (हिन्दी विषय के साथ), एम0बी0बी0एस0 एवं मेडिकल काउंसिल, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी मेडिकल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र सम्बन्धी सूचना उक्त सूची में अनिवार्य रूप से अंकित करते हुए उपरोक्त अभिलेखों की स्व:प्रमाणित छायाप्रतियाँ भी संलग्न करें।
- विज्ञापन अनुसार सम्बन्धित शैक्षिक अर्हता रखने वाले जिन भारतीय अभ्यर्थियों के पास मेडिकल काउंसिल, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी मेडिकल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र वर्तमान में नहीं है, वे भी आवेदन कर सकते हैं, किन्तु चयन होने की दशा में चयनित अभ्यर्थी को अधिकतम 30 दिनों में मेडिकल काउंसिल, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी मेडिकल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- दूरस्थ शिक्षा (Distance Learning Education) से प्राप्त डिग्री निगम आदेशानुसार मान्य नहीं होगी।



14. आवेदन/परीक्षा-शुल्क के निमित्त जमा की गई राशि का पूरा विवरण दे-

(क) बैंक ड्राफ्ट संख्या----- धनराशि (अंकों में)-----  
(शब्दों में)----- तिथि-----

(ख) बैंक का नाम-----जनपद-----

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा :-

मैं-----इस बात की घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन-पत्र में जो वर्णन है, वह मेरे संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य व पूर्ण है और यदि उसमें असत्य विवरण पाया जाये तो मैं अपात्र ठहरा दिया/दी जाऊँ और यदि चयनित हो गया/हो गयी हूँ तो सेवा से हटा दिया/दी जाऊँ।

दिनांक-----

स्थान-----

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर-----

पूरा नाम-----

पूरा पता-----

\*जो लागू न हो उसे काट दिया जाये।



**उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग  
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०**

विभिन्न परीक्षाओं (हाईस्कूल परीक्षा से लेकर) में श्री/श्रीमती/कुमारी-----द्वारा प्राप्तांकों का विवरण:-

विषय	परीक्षा का नाम जिसमें सम्मिलित हुये/हुई								अन्य परीक्षा, यदि कोई हो	
	हाईस्कूल		इंटरमीडियट		स्नातक		स्नातकोत्तर			
	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्राप्तांक	पूर्णांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
योग										
श्रेणी जिसमें परीक्षा उत्तीर्ण की										

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त प्रविष्टियां मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर-----



परिशिष्ट- I

उ.प्र. की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....  
निवासी ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....  
उत्तर प्रदेश राज्य की.....जाति के व्यक्ति है जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि  
समय-समय पर) संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित  
जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश  
के.....ग्राम.....तहसील  
.....नगर.....जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान.....  
दिनांक.....  
मुहर.....

हस्ताक्षर.....  
पूरा नाम.....  
पद का नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/  
अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

परिशिष्ट- II

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र

(प्रारूप- I)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....  
निवासी ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....  
उत्तर प्रदेश राज्य की.....पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,  
अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत  
मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पूर्वोक्त अधिनियम,  
1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य  
पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित  
जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से  
आच्छादित नहीं हैं। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ग की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक  
नहीं हैं तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के.....  
.....ग्राम.....तहसील  
.....नगर.....जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान.....  
दिनांक.....  
मुहर.....

हस्ताक्षर.....  
पूरा नाम.....  
पद का नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

